झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 07 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री रमेश छेत्री,
राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य,
भाजपा (अनु जनजाति मोर्चा).

DISPOSED
15/06/2023.

बनाम

प्रतिवादी DSO, सरायकेला-खरसावाँ)

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–07 / 2023

परिवादी श्री रमेश हाँसदा, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, भाजपा (अनुसूचित जनजाति मोर्चा), बाघरा ईसाई, पो0–गोविन्दपुर, थाना–राजानगर, जिला–सरायकेला खरसाँवा का दिनांक–11.01.2023 का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ। परिवादी श्री हाँसदा द्वारा को आयोग को समर्पित परिवाद पत्र में माह दिसम्बर का NFSA एवं PMGKAY के तहत् तथा माह जनवरी, 2023 का NFSA के तहत् राशन वितरण नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया था।

उक्त पत्र आयोग के पत्रांक–49 दिनांक–16.01.2023 द्वारा विभागीय प्रधान सचिव को प्रेषित है। उक्त मामले में विभाग के पत्र ज्ञापांक–447 दिनांक–07.02.2023 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला को जांच कर कार्रवाई किये जाने हेतु निदेशित करने की सूचना आयोग को प्राप्त हुई है।

उल्लेखनीय है कि इस बीच परिवादी श्री हाँसदा द्वारा दिनांक–30.01.2023 के परिवाद पत्र में सरायकेला खरसाँवा जिले के लाभुकों को अबतक PMGKAY के तहत् मिलने वाला मुफ्त अनाज नहीं मिल पाने का उल्लेख किया है। प्राप्त परिवाद पत्र आयोग के पत्रांक–80 दिनांक–30.01.2023 द्वारा DGRO, सरायकेला खरसाँवा को प्रेषित की गई थी, जिसकी प्रति DSO को भी 3 दिनों के अन्दर वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु प्रेषित है। इस संबंध में सूचना अप्राप्त रहा।

मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर आयोग स्तर से भी सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–22.03.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला खरसाँवा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त शिकायत आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–22.03.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

6.3.23

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

06/03/2023

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
22.03.2023	**वाद संख्या–07 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ उपस्थित। आज की सुनवाई वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ ने भी इस बात को माना की शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप सही हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि पीछे से अनाज की उपलब्धता नहीं होने के कारण लाभुकों को अनाज उपलब्ध नहीं कराया जा सका। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के ऐसे वक्तव्य को स्वीकार नहीं कर सकता। खाद्य आयोग की ये वैधानिक जिम्मेवारी है कि हर लाभुक को उनकी अहर्ता के अनुरूप राशन उपलब्ध कराया जाय। आयोग अधिकारी एवं पदाधिकारियों तथा तकनीकी दिक्कतो पर गौर नहीं कर सकता। इस पर गौर करने की जिम्मवारी संबंधित पदाधिकारी और विभाग की है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि जितने लाभुकों को राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है उन्हें उनकी अहर्ता के अनुसार राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और पिछला बकाया राशन मुआवजे के साथ उपलब्ध कराएं। NFSA अधिनियम में बतौर मुआवजा पिछले अवधि के उपलब्ध नहीं कराये गये राशन का सवा गुणा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सभी लाभुकों को अधिनियम की धारा–8 के अन्तर्गत निर्धारित हर्जाना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत् वैधानिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। आयोग के आज के आदेश के अनुपालन का प्रमाण 15 दिनों के अन्दर जिला आपूर्ति पदाधिकारी आयोग को उपलब्ध कराऐं। मामले को अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–19.04.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
19.04.2023	**वाद संख्या–07 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। इस मामले की सुनवाई दिनांक–22.03.2023 को हुई थी, जिसमें आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिये गये निर्देश के आलोक में उन्होंने पत्रांक 514 दिनांक–11.04.2023 के माध्यम से अपना प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया है। प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि जिले को अनाज उपलब्ध कराया ही नही गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन के अंतिम पंक्ति में लिखा है कि चावल उपलब्ध होने एवं वितरण की अनुमति विभाग से प्राप्त होने के बाद लाभुकों के बीच वितरण कर दिया जाएगा। यह पंक्ति स्पष्ट तौर पर दर्शा रहा है कि प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा लाभुकों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति को आयोग स्वीकार नहीं कर सकता है एवं यह अत्यन्त ही गंभीर विषय है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आयोग को प्रेषित पत्र, पत्रांक–514 दिनांक–11.04.2023 प्रधान सचिव / सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को भेजते हुए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर जांच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। आयोग प्रशासनिक या तकनीकि खामियों के आड़ में लाभुकों को उनके अधिकार से वंचित होता हुआ नहीं देख सकता। आयोग में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अन्य कई जगह अनाज उपलब्ध नहीं कराये जाने की बात कही है। इस पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि FCI से अनाज नहीं मिलने या कम मिलने के कारण कटौती कर अनाज उपलब्ध कराया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का बयान यह दर्शाता है कि तंत्र की लापरवाही के कारण जनता अपने अधिकारों से वंचित हो रही है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि दिसम्बर का PMGKAY एवं दिसम्बर 2022 तथा जनवरी 2023 का NFSA का अनाज कम मिला, जिसके फलस्वरूप सभी लाभुकों को अनाज नहीं मिल सका। लेकिन वे यह नहीं स्पष्ट कर सके कि कितना कम अनाज मिला। ऐसे में आयोग सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से यह अपेक्षा रखता है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि हर जगह अनाज समय पर पहुंचे एवं अधिकारी इस तरह के तर्क का सहारा न लें। इस की भी गहनता से जांच की जाए कि संबंधित माह में आवश्यकता से कितना कम अनाज मिला एवं उसका कारण क्या था। जिनकी लापरवाही या कमी के कारण अनाज समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया या कम उपलब्ध कराया गया, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई करें एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत करायें। P.T.O. Sp E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx53	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

जिला आपूर्ति पदाधिकारी दिसम्बर 2022 एवं जनवरी 2023 के NFSA एवं दिसम्बर 2022 के PMGKAY के लिए निर्गत RO एवं प्रत्येक RO के विरूद्ध किस–किस JSFC गोदाम के लिए FCI से निर्गत अनाज की मात्रा एवं JSFC गोदाम में Received मात्रा का प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराएँ।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–16.05.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
16-05-2023	**वाद सं0–07 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसाँवा उपस्थित। मामले की सुनवाई Telephonic Conference के माध्यम से की गई। शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया। आयोग के अभिलेख में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसाँवा द्वारा भेजा गया प्रतिवेदन मौजूद है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पत्रांक–607 दिनांक–10.05.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन की समिक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ की RO से कम मात्रा में उठाव हुआ है। साथ ही प्रखण्डवार उठाव की गई मात्रा से कहीं अधिक तो कहीं कम मात्रा में अनाज का Dispatch हुआ है। ये स्थिति बडे पैमाने पर अनियमितता एवं लापरवाही दर्शाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि किस प्रकार की अनियमितता की बात कही जा रही है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने यह भी कहा कि उनके रिपोर्ट में इस तरह के आंकड़े नहीं है। ऐसे में आयोग सदस्य सचिव, खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसाँवा पत्रांक–607 दिनांक–10.05.2023 के माध्यम से भेजे गए प्रतिवेदन में जो अनियमितता परिलक्षित होती है, उसका विस्तार से उल्लेख करते हुए उन अनियमितताओं और कारणों पर स्पष्ट प्रतिवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसाँवा से मँगाया जाय। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–30.05.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.05.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30-05-2023 08/06/23	**वाद सं0–07 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री रमेश हाँसदा, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य, भाजपा (अनु0ज0जा0मोर्चा) स्वयं उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ ऑडियो काल के माध्यम से उपस्थित। आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ का कहना है कि खाद्य आयोग के सचिव द्वारा प्रेषित पत्रांक–351 दिनांक–22.05.2023 उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग अपने कार्यालय को निर्देश देता है कि वे इस बात की पड़ताल करें की पत्रांक–351 दिनांक–22.05.2023 जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रेषित की गई है या नहीं और प्रेषित की गई है तो प्रेषित किये जाने का प्रमाण आयोग के अभिलेख में संधारित किया जाय। इस बीच आयोग नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के तहत जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को पूर्व में प्रेषित पत्रांक–351 दिनांक–22.05.2023 पुनः मेल एवं वॉट्सऐप के माध्यम से भेजने का निर्देश दिया जाता की वे 15.06.2023 से पहले आयोग को अपना पक्ष भेजें। इस वाद में चूँकि शिकायतकर्ता का पक्ष अब जानना जरूरी नहीं है। अतः अगली सुनवाई में शिकातयकर्ता चाहें तो उपस्थित हों चाहे तो उपस्थित न हो। आयोग इस वाद के अंतिम परिणाम से शिकायकर्ता को अवगत करा देगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–15.06.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.06.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–07 / 2023

15.06.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री रमेश हाँसदा, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य, भाजपा (अनु0ज0जा0 मोर्चा) Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकरी, सरायकेला–खरसावाँ, Video Conference के माध्यम से उपस्थित।

आयोग के निर्देश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अपना प्रतिवेदन आयोग को भेजा है। आयोग सदस्य सचिव, खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि जिला, आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन एवं संबंधित सभी दस्तावेज शिकायतकर्त्ता को डाक, वाट्सऐप, और ई–मेल के माध्यम से भेज दिया जाय। साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन एवं संबंधित दस्तावेजों को विभागीय सचिव को भेजते हुए पूरे मामले की जाँच करने का आग्रह किया जाय और इस बात कि पड़ताल की जानी चाहिए कि किस परिस्थिति में संबंधित प्रखण्ड के लोगों को अनाज वितरण नहीं किया गया और इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों की पहचान कर उनके विरूद्ध कार्रवाई किया जाना चाहिए। आयोग सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से यह आग्रह भी करता है कि संबंधित प्रखण्ड के लाभुकों को जिस कालखंड का अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है, उस कालखंड का अनाज उपलब्ध कराने के लिए संबंधित जिले में अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जाय और यदि पूर्व में आवंटन उपलब्ध कराया गया था एवं यदि उस आवंटन का गबन किया गया है, तो गबन किये गये अनाज की रिकवरी कराते हुए लाभुकों के बीच वितरित किया जाय। इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

19.6.23

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

19/6/23

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267